पत्र संख्या :क0नि0–5–2358/11–2005–500(4)/2005

प्रेषक,

अतुल चतुर्वेदी,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आयुक्त स्टाम्प, उत्तर प्रदेश/
अपर सचिव, राजस्व परिषद, इलाहाबाद।

कर एवं निबन्धन अनुभाग–5 लखनऊः दिनांकः 19 मई, 2005

विषयः– रु0 20/– एवं इससे छोटे अभिधान के गैर न्यायिक स्टाम्प पत्र तथा रु0 20/– एवं रु0 10/– अभिद्दान के चिपकाऊ न्यायिक स्टाम्प पत्रों की आपूर्ति भारत प्रतिभूति मुद्रणालय नासिक रोड के स्थान पर सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस, हैदराबाद से प्राप्त करने आदि के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सेन्ट्रल स्टाम्प डिपो, नासिक रोड के परिपत्र संख्या–सी0एस0डी0 3553 दिनांक 26.02.2005 (छायाप्रति संलगन) तथा प्रतिभूति मुद्रणालय हैदराबाद के परिपत्र संख्या एस0पी0पी0 /एच0ओ0डी0 / जी0 आर0 /उल0जे0एस0/357 दिनांक 04.04.2005 तथा शासन को सम्बोधित अपने पत्र संख्या– 5084 / स्टाम्प–47 बी/55/19/2004–05 दिनांक 15.03.2005 एवं पत्र संख्या–6849/स्टाम्प–47 बी/55/19/2004–05 दिनांक 28.03.2005 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उपरोक्त के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि प्रश्नगत मामले में सम्यक् विचारोपरान्त शासन द्वारा निम्नांकित निर्णय लिए गये हैंः–

(1) कानपुर नगर कोषागार को सेन्ट्रल स्टाम्प डिपो, नासिक रोड के परिपत्र संख्या सी0एस0डी0 3553 दिनांक 26.02.2005 के क्रम में प्रतिभूति मुद्रणालय हैदराबाद से रु0 20/– एवं इससे छोटे अभिधान के गैर न्यायिक स्टाम्प पत्र तथा रु0 20/– एवं रु0 10/– अभिधान के चिपकाऊ न्यायिक स्टाम्प पत्रों की आपूर्ति भारत प्रतिभूति मुद्रणालय नासिक रोड के स्थान पर सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, सैफाबाद, मिन्ट कम्पाउन्ड, हैदराबाद 500005 से प्राप्त करने हेतु नोडल बिन्दु के रूप में कार्य करने की अनुमति प्रदान की जाती है। उक्त कोषागार द्वारा सेन्ट्रल स्टाम्प डिपो, नासिक रोड के परिपत्र संख्या सी0एस0डी0 3553 दिनांक 26.02.2005 में उल्लिखित छोटे अभिधान के स्टाम्पों की व्यक्तिगत सुपुर्दगी के माध्यम से प्राप्त करने तथा प्रदेश के अन्य नोडल बिन्दुओं की मांग के अनुसार आपूर्ति हेतु आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

उपर्युक्त के साथ ही इस कोषागार द्वारा विद्यमान अन्य नोडल बिन्दुओं से छमाही मांगपत्र प्राप्त करके राजस्व परिषद इलाहाबाद को भेजेगा तथा राजस्व परिषद इलाहाबाद द्वारा इस सूचना को संकलित करके सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस हैदराबाद को प्रेषित किया जायेगा।

(2) सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस, हैदराबाद के परिपत्र संख्या एस0पी0पी0/ एच0ओ0डी0/ जी0आर0/ उल जे0 एस0/357 दिनांक 04.04.2005 के अनुसार स्टाम्प पत्रों की आपूर्ति हेतु सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस, हैदराबाद को धनराशि के भुगतान पर कोई आपत्ति नहीं है।

2– कृपया उपरोक्त निर्णयों का कड़ाई से अनुपालन करना सुनिश्चित किया जाये।

भवदीय,
ह0अस्पष्ट
(अतुल चतुर्वेदी)
प्रमुख सचिव।

संख्या :क0नि0–5–2358(1)/11–2005–500(4)/2005, तद्दिनांकः

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

(1) प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(2) निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश, 1018, जवाहर भवन, लखनऊ।
(3) मुख्य कोषाधिकारी, कानपुर नगर।
(4) अध्यक्ष, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
(5) समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
(6) समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
(7) महाप्रबन्धक, भारत प्रतिभूति मुद्रणालय, नासिक रोड, महाराष्ट्र।
(8) महाप्रबन्धक, सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, सैफाबाद, मिन्ट कम्पाउन्ड, हैदराबाद 500004
(9) गार्ड फाइल, कर एवं निबन्धन अनुभाग–5, उत्तर प्रदेश शासन।

आज्ञा से,
ह0अस्पष्ट
(अतुल चतुर्वेदी),
प्रमुख सचिव।